न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 17/2020 (2020/00164) दर्ज दिनांक 06.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अम्बालाल आत्मज नानालाल बैरवा निवासी सुण्डा का खेड़ा, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1. काना आत्मज कन्हैयालाल आत्मज माधु नायक
2. रमेश उर्फ रामेश्वर आत्मज माधु नायक
3. लक्ष्मण आत्मज माधु नायक
4. मु0 प्रेमी पुत्री माधु नायक
5. मु0 गणी पुत्री माधु नायक

सर्व निवासी नायकों का खेड़ा, वार्ड संख्या एक गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः श्रीमती सज्जन बैरवा

पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–03.09.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3507 रकबा 0.42 हे0, 3509 रकबा 0.62 हे0, 3510 रकबा 1.42 हे0, 3514 रकबा 0.78 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 5 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 पेश है।

यह कि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजियात रांज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता करबा गंगापुर से बाडिया माता जी जाने वाली पक्की रोड़ से होकर आगे पक्की रोड़ के उत्तरी दिशा की तरफ स्थित विपक्षी संख्या एक लगायत पांच की खातेदारी की आराजी संख्या 3504 में होते हुए आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 3510 में प्रवेश करता है । उक्त रास्ता करीब 7 मीटर चौड़ाई में स्थित ... प्रार्थी उपरोक्त वर्णितानुसार रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए अपनी ... बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करते हुए प्रार्थी अपनी आराजियात ... करता चला आ ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी की आराजी मे आवागमन के लिए सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में ही है, अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिससे विपक्षीगण की आराजियात 3510 में से 7 मीटर चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज हो जायेगा जिससे दिगर खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा की आराजी संख्या 3507, 3509, 3510, 3514 में रांज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो कस्बा गंगापुर से बाड़िया माताजी जाने वाली पक्की सड़क से होकर पक्की सड़क के उत्तरी दिशा की ओर स्थित विपक्षीगण संख्या एक लगायत पांच की खातेदारी की आराजी संख्या 3504 में होकर आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 3510 में 7 मीटर चौड़ाई में स्थित हैं को नियमानुसार राशि जमा करवा राजस्व रेकार्ड व नक्शे में किस्म बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/477 दिनांक 24.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि आराजी नं0 3504 रेकार्ड व मौका अनुसार कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

– यह कि मौके पर रास्ता बंद नहीं है।

–यह कि मौके पर उक्त आराजी संख्या 3504 के अलावा अन्य कोई उचित रास्ता नहीं है।

– यह कि वर्तमान में उक्त आराजी नं0 3510 में होकर आवागमन हेतु आराजी नं0 3559 एवं आराजी नं0 3560 में से होकर निकल रहे है, जिसमें खनन पट्टा स्वीकृत होकर खनन कार्य हो रहा है।

– यह कि आराजी नं0 3504 में रास्ते हेतु 0.03 हे0 भूमि प्रभावित होगी। ग्राम नांदशा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 420463/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.01हे0 की मालियत 12614/– रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 25228/– रूपये होती है।

–यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल [illegible] दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि वैकल्पिक रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:16 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा की आराजी संख्या 3507, 3509, 3510, 3514 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र रास्ता जो करबा गंगापुर से बाडिया माताजी जाने वाली पक्की सड़क से होकर पक्की सड़क के उत्तरी दिशा की ओर स्थित विपक्षीगण संख्या एक लगायत पांच की खातेदारी की आराजी संख्या 3504 में होकर जाने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 3507, 3509, 3510, 3514 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षीगण की आराजी संख्या 3504 की करबा गंगापुर से बाडिया माताजी जाने वाली पक्की सड़क से होकर पक्की सड़क के उत्तरी दिशा की ओर आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 3510 में प्रवेश हेतु 7 मीटर चौडा रास्ता यानि 0.03 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा की आराजी संख्या 3507, 3509, 3510, 3514 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 3504 की करबा गंगापुर से बाडिया माताजी जाने वाली पक्की सड़क से होकर पक्की सड़क के उत्तरी दिशा की ओर आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 3510 में प्रवेश हेतु 7 मीटर चौडा रास्ता यानि 0.03 हे0 भुमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 420463/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 12614/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 25228/–प्रार्थी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.03 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 25228/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा की आराजी संख्या 3507, 3509, 3510, 3514 में आने जाने के लिए 7 मीटर चौड़ा रास्ता यानी विपक्षीगण की आराजी संख्या 3504 की करबा गंगापुर से बाडिया माताजी जाने वाली पक्की सड़क से होकर पक्की सड़क के उत्तरी दिशा की ओर आगे प्रार्थी की आराजी संख्या 3510 में प्रवेश हेतु 0.03 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:16 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
...अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner